


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 3, 2016/माघ 14, 1937

No. 298]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 3, 2016/MAGHA 14, 1937

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2015

विषय: 13 नवम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अनुसूची का.आ. खण्ड (अ) में शामिल उत्पादों के लिए “इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी माल (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकता) आदेश, 2012” के कार्यान्वयन से संबंधित ।

का.आ. 344(अ).—जबकि, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के खण्ड 10 (1) (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 13 के खण्ड (च क) के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने 13 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. संख्या 2905 (अ) तथा 21 सितम्बर, 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. 2578 (अ) के द्वारा “इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी माल (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2012” (जिसे इसके पश्चात आदेश कहा गया है) की अनुसूची में पंद्रह उत्पादों को शामिल किया था, चुनिन्दा मदों के लिए इस आदेश के लागू होने की तारीख को 1 दिसम्बर, 2015 तक बढ़ाया गया था । और जबकि, उद्योग ने आदेश के अनुपालन के लिए अधिक समय मांगा है और जबकि इस आदेश के निर्वाध कार्यान्वयन के लिए पणधारकों के साथ इन मुद्दों पर चर्चा की गई है, अतः एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि इस आदेश के कार्यान्वयन की तारीख को निम्नलिखित चुनिन्दा उत्पादों सम्मुख दर्शाई गई तारीखों तक विस्तारित माना जाए :

आदेश की अनुसूची में क्रमांक	उत्पाद	भारतीय मानक संख्या	भारतीय मानक का शीर्षक	कार्यान्वयन की तारीख
18.	≤ 5 केवीए रेटिंग के यूपीएस/इन्वर्टर	भा.मा. 16242 (भाग-1): 2014	यूपीएस के लिए सामान्य सुरक्षा आवश्यकताएं।	1 मार्च, 2016
20.	सुवाह्य (पोर्टेबल) अनुप्रयोगों में इस्तेमाल के लिए क्षारीय या अन्य गैर-अम्लीय इलेक्ट्रोलाइट्स सील्ड गौण सेल/बैटरियां	भा.मा.16046: 2012	सुवाह्य अनुप्रयोगों में इस्तेमाल के लिए सुवाह्य सील्ड गौण सेल और उनसे निर्मित बैटरियों के लिए	1 जून, 2016

22.	निर्धारित सामान्य प्रयोजन एलईडी ल्यूमिनरीस	भा.मा.10322 (भाग 5/धारा 1): 2012	ल्यूमिनरीस भाग 5 विशेष आवश्यकताएं धारा 1 निर्धारित सामान्य प्रयोजन ल्यूमिनरीस	1 मार्च, 2016
-----	--	----------------------------------	---	---------------

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

टिप्पणी: प्रधान आदेश भारत के राजपत्र, असाधरण में दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 के का.आ. संख्या 2357 (अ) को प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसमें दिनांक-20 मार्च, 2013 को का.आ. 822 (अ), 5 जुलाई, 2013 को का.आ. 20334 (अ), 5 जुलाई, 2013 को का. आ. 2934 (अ), 13 नवम्बर 2014 को का. आ. 2095 (अ) 11 मई, 2015 को का.आ. 1324 (अ) 21 सितम्बर, 2015 को का.आ. 2578 (अ) तथा 21 सितम्बर, 2015 को का.आ. 2579 (अ) के द्वारा संशोधन किया गया था।

[फा.सं. 37(1)/2013-आईपीएचडब्यू (भाग-2)]

संजीव मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department Of Electronics And Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2015

S.O. 344(E).— Whereas, in exercise of the power conferred by clause 10(1)(p) of Bureau of Indian Standard Act, 1986 (63 of 1986) and in pursuance of clause (fa) of the rule 13 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Central Government had included fifteen products to the Schedule of “Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012” (hereinafter called the Order) *vide* S.O. 2905(E) published in Gazette of India on 13 Nov 2014, and *vide* S.O. 2578(E) published in the Gazette of India on 21 Sept 2015 the date of coming into effect of this Order for the select items was extended till 1st Dec 2015. And whereas, the industry has sought more time for compliance to the Order And whereas the issues involved have been discussed with the stakeholders for smooth implementation of this Order, it is hereby notified that the date of implementation of the Order stands extended to the dates indicated against the select products as mentioned below:

S.No. in the Schedule of the Order	Product	Indian Standard Number	Title of Indian Standard	Date of Implementation
------------------------------------	---------	------------------------	--------------------------	------------------------

18	UPS/Invertors of rating \leq 5KVA	IS 16242 (Part 1) : 2014	General and Safety requirements for UPS	1st March 2016
20	Sealed Secondary Cells/Batteries containing Alkaline or other non-acid Electrolytes for use in portable applications	IS 16046: 2012	Secondary Cells and Batteries containing Alkaline or other non-acid Electrolytes-Safety Requirements for Portable sealed secondary cells, and for Batteries made from them, for use in portable applications	1st June 2016
22	Fixed General Purpose LED Luminaires	IS 10322 (Part 5/Sec 1): 2012	Luminaires Part 5 Particular Requirements Sec 1 Fixed General Purpose Luminaires	1st March 2016

This Notification will come into immediate effect.

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. number 2357(E), dated 3rd October, 2012 and subsequently amended *vide* S.O. 822(E), dated 20th March 2013, S.O. 2033(E) dated 5th July 2013, S.O.2034(E) dated 5th July 2013, S.O. 2905(E) dated 13 Nov 2014, S.O. 1324(E) dated 11th May 2015, S.O. 2578(E) dated 21 Sept 2015 and S.O. 2579(E) dated 21 Sept 2015.

[F. No. 37(1)/2013-IPHW (Pt.2)]
SANJIV MITTAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2015

विषय: “इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना आईटी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012” में संशोधन से संबंधित।

का.आ. 345(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के खंड 10 (1) (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 13 के खण्ड (च क) के अनुसरण में केन्द्र सरकार “इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना आईटी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकताएं) आदेश, 2012” में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना आईटी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012” में-
पैरा 3क के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“3 ख आदेश का आस्थगित अनुप्रयोग”-

ऐसे विनिर्माताओं, जो इस आदेश के अंतर्गत पहले से ही पंजीकृत हैं, के लिए भारत की संघीय सीमा के भीतर किसी नए स्थल पर विनिर्मित माल (वस्तुओं) के लिए आदेश के अनुप्रयोग को छह माह तक आस्थगित रखा जाएगा बशर्ते कि :

क) नया विनिर्माण स्थल उसी विनिर्माता की जिम्मेदारी के तहत आता हो;

ख) इस नए स्थल पर विनिर्मित माल का विशिष्ट प्रकार/मॉडल नम्बर किसी अन्य स्थल पर उसकी विनिर्माण यूनिट के लिए उसी विनिर्माता के पंजीकरण के कार्य क्षेत्र (परिधि) में पहले से ही शामिल हो ।

अंतिम अवधि के दौरान ऐसे उत्पाद/उत्पादों के लिए इस विनिर्माता को किसी अन्य स्थल हेतु स्वीकृत की गई पंजीकरण संख्या का समर्थन जारी रहेगा ।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

[फा. सं. [37(1)/2013-आईपीएचडब्ल्यू(खंड-2)]

डॉ. अजय कुमार ,अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2015

SUBJECT: Concerning Amendment of “Electronics and IT Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012”.

S.O. 345(E).—In exercise of the power conferred by clause 10(1)(p) of Bureau of Indian Standard Act, 1986 (63 of 1986) and in pursuance of clause (fa) of the rule 13 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Central Government, hereby makes the following amendments to the “Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012”, namely-

In the Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012,-

After Para 3 A, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“3 B. Deferred Application of Order”-

For manufacturers that are already registered under this Order, the application of the order shall be deferred by six months for goods manufactured at any new location within the territory of India provided:

- That the new manufacturing location is within the responsibility of the same manufacturer
- That the specific type/model numbers of the goods manufactured at this new location are already covered in the scope of registration of the same manufacturer for its manufacturing unit, at any other location.

During the interim period such product/products will continue to support the registration number granted to this manufacturer earlier for any other manufacturing location.

This Notification will come into force with immediate effect.

[F. No. 37(1)/2013-IPHW(Pt.2)]

Dr. AJAY KUMAR, Addl. Secy.

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. number 2357(E), dated 3rd October, 2012 and subsequently amended *vide* S.O. 822(E), dated 20th March 2013, S.O. 2033(E) dated 5th July 2013, S.O. 2034(E) dated 5th July 2013, S.O. 2905(E) dated 13 Nov 2014, S.O. 1324(E) dated 11th May 2015, S.O. 2578(E) dated 21 Sept 2015 and S.O. 2579(E) dated 21 Sept 2015.